संख्या–234 / XV–1 / 1(12) / 2008

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ, उधमसिंहनगर,
चम्पावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 8 जुलाई, 2008

विषय :– **अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन आयोजनागत योजनाओं में वर्ष 2008–09 हेतु बजट आबंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–198 / नि0 / बजट / निर्माण / 2008–09 दिनांक 23 अप्रैल, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालयों एवं पशुसेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष **रूपया 183.77 लाख (रूपया एक करोड़ तिरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिका, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रुपये में)
1.	उधमसिंहनगर	40.00
2.	अल्मोड़ा	08.00
3.	बागेश्वर	12.77
4.	पिथौरागढ़	11.00
5.	चम्पावत	29.00
6.	पौड़ी	15.00
7.	रुद्रप्रयाग	10.00
8.	उत्तरकाशी	28.00
9.	हरिद्वार	30.00
	कुल योग :–	**183.77**

(रूपया एक करोड़ तिरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)

(2) आगणन में उल्लिखित जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति / अनुमोदन नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से पूर्ण करते हुए, कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही सम्पादित कराया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य कर लें एवं निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये तथा तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायें व कार्य प्रारम्भ करने में देरी यदि हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी अधिकारियों के विरुद्व कार्यवाही की जाय।

(9) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जाय।

(10) धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों का तथा कय सम्बन्धी शासनादेशों में दी गई व्यवस्था व स्टोर परचेज नियमावली का पालन किया जाय।

(11) निर्माण कार्यों में धनराशि जारी करने से पूर्व उनकी अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति प्राप्त कर ली जाय।

(12) उक्त धनराशि का व्यय कराये जा रहे कार्यों की सूची शासन को उपलब्ध कराने के बाद किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–01–पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य–91–जिला योजना–9101–पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 109(P)/XXVII–4/2008 दिनांक 27 जून, 2008 में जारी उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या–235 (1)/XV–1/2008–तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–4।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।